पत्रिका

गरीबों को नहीं मिलेगा अब खराब क्वालिटी का राशन, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किए ये नए निर्देश

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राशन दुकानों के लिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।

सूरजपुरा (भाटापारा). राशन दुकानें अब खराब राशन नहीं बेच पाएंगी। अब दुकानों को जिम्मेदारी लेनी होगी अच्छे राशन सामान देने की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राशन दुकानों के लिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।अनिवार्यता के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय ने आदेश परिपालन करने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।

राशन दुकानों में मिलने वाला राशन में गुणवत्ता के नियमों का पालन नहीं करने की शिकायत मुख्यालय तक लगातार पहुंच रही है। जांच में इन शिकायतों को सहीं भी पाया गया है। कड़ाई की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो सके। क्योंकि राशन दुकान चलाने की जिम्मेदारी लेने वाले विभाग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।इसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह कोशिश इस बार फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस के रूप में सामने आ गई है।कहीं घुन लगा गेहूं बांटा जा रहा है, तो कहीं चावल में कीड़े लगने की शिकायत मिलती रही है। गोदामों में राशन सामग्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम भी नहीं किए जाते।

लेना होगा फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस

प्रशासन ने जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि वह अपने-अपने जिलों में संचालित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की राशन दुकानों को यह आदेश पहुंचाए और फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कराए। ताकि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है, उसमें यह उम्मीद जताई गई है, कि इस जरूरी अनिवार्यता के बाद राशन दुकानों में बेचे जाने वाले राशन की गुणवत्ता बनाई रखी जा सकेगी। इसके अलावा राशन दुकानें अपनी जवाबदेही से भी बच नहीं पाएंगी। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेने के बाद उन्हें हर वह जरूरी उपाय करने होंगे, यह किसी भी खाद्य विक्रेता के लिए अनिवार्य है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. अश्वनी देवांगन ने बताया कि नए आदेश के तहत सरकारी राशन दुकानों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य होगा। आदेश के परिपालन के लिए जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है।